日本国とインドとの間の文化協定

昭和三一年一〇月二九日東京で署名
昭和三二年三月二六日国会承認
昭和三二年五月一七日批准の内閣決定
昭和三二年五月一七日批准書認証
昭和三二年五月二四日ニュー・デリーで批准書交換

昭和三二年五月二四日公布（条約第八号）
昭和三二年五月二四日効力発生

日本国政府及びインド政府は、
両国間の幾多の世紀にわたる文化関係を認識し、
将来一層緊密な文化関係を助長し、かつ、発展させようとする共通の希望に動かされ、また、
両国間の関係と理解を、可能なあらゆる方法で助長しかつ深め、及び健全な基礎の上に置くことを希望して、
文化協定を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれの全権委員を任命した。

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND INDIA

Signed at Tokyo, October 29, 1956
Approved by the diet, March 26, 1957
Ratification decided by the cabinet, May 17, 1957
Attested, May 17, 1957
Ratifications exchanged at New Delhi, May 24, 1957

Promulgated, May 24, 1957
Entered into force, May 24, 1957

The Government of Japan and the Government of India
Conscious of many centuries of cultural relations between the two countries,
Inspired by a common desire to promote and develop closer cultural relations in the future, and
Desirous of promoting and deepening in every possible way and putting on a sound basis the relations and understanding between the two countries;
Have decided to conclude a Cultural Agreement and have appointed for this purpose as their respective Plenipotentiaries,

便宜供与事項

日本国政府

　日本国外務大臣　重光葵

インド政府

　日本国駐在インド特命全権大使　B・R・セン

これらの全権委員は、その全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。

第一条

両締約国は、特に次の諸手段により、相手国内において自国の文化が一層理解されるように、自国の法令に従い、できる限りの便宜を相互に与えるものとする。

(a) 書籍、定期刊行物その他の出版物
(b) 講演、演奏会及び演劇
(c) 美術展覧会その他の文化的性質を有する展覧会
(d) ラジオその他類似の手段
(e) 科学的、教育的又は文化的性質を有する映画

第二条

The Government of Japan:

Mr. Mamoru Shigemitsu, Minister for Foreign Affairs of Japan and

The Government of India:

Mr. B. R. Sen, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of India to Japan,

Who, having communicated to each other their full powers, found to be in good and due form, have agreed upon the following provisions:

Article 1

The High Contracting Parties will, subject to the laws and regulations of each Party, accord each other every possible facility so as to assure the better understanding of the culture of their respective country in the other country, especially by means of:

(a) books, periodicals, and other publications;
(b) lectures, concerts, and theatrical performances;
(c) art exhibitions and other cultural exhibitions;
(d) radio and other similar means; and
(e) scientific, educational or cultural films.

Article 2

学者等の交換

(1) 両締約国は、教授、学者、学生並びに科学的及び文化的の機関の構成員の両国間における交換を奨励するものとする。

(2) 各締約国は、自国内の科学的、技術的及び工業的の機関における相手国の政府職員又はその政府の委嘱を受けた者の訓練のため、可能なあらゆる便宜を与えるものとする。

文化施設の設立

第三条

各締約国は、自国の領域内における相手国の文化施設の設立について可能なあらゆる便宜を与えるものとする。「文化施設」とは、教育センター、図書館、教育的性質を有する科学機関及び美術奨励のための機関（たとえば、美術館、美術センター、美術団体及びフィルム図書館）をいう。

奨学金

第四条

両締約国は、いずれか一方の締約国の国民が、他方の締約国内において修学若しくは研究を行い、又は技術を習得することができるように、これらの者に奨学

(1) The High Contracting Parties will encourage the exchange between their countries of professors, scholars, students and the members of scientific and cultural institutions.

(2) Each High Contracting Party will accord every possible facility for the training of employees of the Government of the other High Contracting Party, or any other persons deputed by that Government in the scientific, technical and industrial institutions in its own country.

Article 3

Each High Contracting Party will accord every possible facility for the establishment in its territory of cultural institute of the other High Contracting Party; the term "cultural institute" means educational centres, libraries, scientific institutions of an educational nature, and institutions for the promotion of art, such as art galleries, art centres, art societies and films libraries.

Article 4

The High Contracting Parties will study measures to provide the nationals of each country with scholarships and other facilities in order to enable such nationals to make

金その他の便宜を与えるための方法を研究するものとする。

study and research or to acquire technical training in the country of the other Contracting Party.

運動競技等の奨励

第五条

両締約国は、両国民の間における運動競技及び認められたスカウト組織の間における協力をできる限り奨励するものとする。

Article 5

The High Contracting Parties will encourage, as far as possible, sports competitions between nationals of their respective countries and collaboration between their recognized Scout Organizations.

資料供覧施設の利用

第六条

各締約国は、自国の法令に従い、自国内において、通常一般に公開されている博物館、図書館その他資料編集施設の利用について相手国の国民に対し便宜を与えるものとする。

Article 6

Each High Contracting Party will subject to the laws and regulations of each Party accord, in its territory, the nationals of the other High Contracting Party the facilities of access to museums, libraries and other documentation centres normally open to the public.

混合委員会の設置

第七条

(1) 両締約国は、この協定の実施を確保するため、二の日本・インド混合委員会を一は東京に他はニュー・デリーに設置することに同意する。

(2) 各委員会は、一人の委員長並びに日本国政府が指名する二人及びインド政府が指名する二人の四人の

Article 7

(1) In order to assure the implementation of the present Agreement the Contracting Parties will agree to establish two Japanese-Indian Mixed Commissions, one in Tokyo, the other in New Delhi.

(2) Each Commission will be composed of a President and four other members, of whom two will be named by the

委員で構成される。

(3) 東京においては、日本国政府が日本国民を委員長に指名し、ニュー・デリーにおいては、インド政府がインド国民を委員長に指名する。

(4) 各委員会は、少くとも三年に一回委員長により招集される。

批准発効及び有効期間

第八条

(1) この協定は、批准されるものとし、できる限りすみやかにニュー・デリーで行われるべき批准書の交換の日に効力を生ずる。

(2) この協定は、十年間効力を存続するものとし、その後においても、いずれか一方の締約国がこの協定の廃棄を通告した日から六箇月の期間が満了するまでなお効力を有する。

末文

以上の証拠として、前記の全権委員は、この協定に署名調印した。

Government of Japan and the other two by the Government of India.

(3) In Tokyo the Government of Japan will name a Japanese national as the President and in New Delhi the Government of India will name an Indian national as the President.

(4) Each Commission will be convened by the President at least once in 3 years.

Article 8

(1) The present Agreement shall be ratified and shall come into force on the date of exchange of the instruments of ratification which shall take place as soon as possible at New Delhi.

(2) The present Agreement shall remain in force for a period of ten years and thereafter until the expiration of six months from the day on which one of the Contracting Parties shall give notice of its intention to terminate the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the aforementioned Plenipotentiaries have signed the present Agreement and have affixed hereunto their seals.

千九百五十六年十月二十九日に東京で、本書二通を作成した。両国政府は、この協定の日本語及びヒンディ語による本文を本日から一箇月以内に交換するものとする。

日本国政府のために
　重光葵
インド政府のために
　B・R・セン

DONE in duplicate at Tokyo, this twenty-ninth day of October of 1956. Japanese and Hindi texts of this Agreement will be exchanged by the two Governments within one month of this date.

For the Government of Japan:
　Mamoru Shigemitsu
For the Government of India:
　B. R. Sen

जापान और भारत के बीच
सांस्कृतिक करार

जापान की सरकार और भारत सरकार अपने सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक सम्बन्धों का ध्यान रखते हुये इस समान इच्छा से प्रेरित हुई हैं कि भविष्य में दोनों के सांस्कृतिक सम्बन्ध निकटतर और अधिक पक्के होते जायें, और

दोनों देशों के बीच इस प्रकार के सद्भाव और ऐसे सम्बन्धों को एक ठोस आधार पर बढ़ाने और विकसित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाय,

इसलिये उन्हों ने एक सांस्कृतिक करार करने का निश्चय किया है और इस उद्देश्य से नीचे लिखे पूर्णाधिकारी नियुक्त किये हैं -

जापान सरकार की ओर से :

जापान के विदेश मन्त्री श्री मामोरू शिगेमित्सु,

और

भारत सरकार की ओर से :

जापान में भारत के असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी श्री बी० आर० सेन ।

उन्हों ने एक दूसरे को अपने पूर्णाधिकारों की सूचना दी है, और उन्हें ठीक और उचित रूप में पाकर वे नीचे लिखी बातों पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद १

करार करने वाले पक्ष, हर पक्ष के कानूनों और विनियमों के अधीन रहते हुए, एक दूसरे को हर सम्भव सुविधा देंगे, ताकि उनके अपने देश की संस्कृति की दूसरे देश में ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी हो सके । इसके लिये विशेष रूप से साधनों को अपनाया जायेगा :

(क) पुस्तकें, पत्रिकाएं, और दूसरे प्रकाशन;
(ख) व्याख्यान, संगीत-समारोह, और नाटकोत्सव;
(ग) कला-प्रदर्शनियां और दूसरी सांस्कृतिक प्रदर्शनियां;
(घ) रेडियो और इसी प्रकार के दूसरे साधन; और

(ङ) वैज्ञानिक, शिक्षाप्रद या सांस्कृतिक फ़िल्म ।

अनुच्छेद २

(१) क़रार करने वाले पक्ष प्राध्यापकों, विद्वानों, विद्यार्थियों और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्यों को एक दूसरे के यहां भेजने को बढ़ावा देंगे ।

(२) क़रार करने वाला हर पक्ष वे सब सुविधाएं देगा जिससे क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के व्यक्ति या क़रार करने वाले उस पक्ष द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उस देश की वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक संस्थाओं में सिखलाई पा सकें ।

अनुच्छेद ३

क़रार करने वाला हर पक्ष क़रार करने वाले दूसरे पक्ष को अपने भूभाग में सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना करने के लिये हर सम्भव सुविधा देगा, 'सांस्कृतिक संस्थान', इस शब्द का आशय होगा शिक्षाकेन्द्र, पुस्तकालय, शिक्षा-सम्बन्धी वैज्ञानिक संस्थाएं, कला की उन्नति करने वाली संस्थाएं, जैसे कला-भवन, कला-केन्द्र, कला-समाज और फ़िल्म संग्रहालय ।

अनुच्छेद ४

क़रार करने वाले पक्ष एक-दूसरे देश के राष्ट्रिकों को वज़ीफ़े और दूसरी सुविधाएं देने के लिये उपायों पर विचार करेंगे ताकि ऐसे राष्ट्रिक क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के देश में अध्ययन और अनुसन्धान कर सकें या तकनीकी सिखलाई पा सकें

अनुच्छेद ५

क़रार करने वाले पक्ष उनके अपने देशों के राष्ट्रिकों के बीच खेल-प्रतियोगिताओं को, और मान्यता प्राप्त स्काउट-संघों के बीच सहकार्य को बढ़ावा देने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

अनुच्छेद ६

क़रार करने वाला हर पक्ष, अपने क़ानूनों और विनियमों के अधीन रहते हुए, क़रार करने वाले दूसरे पक्ष के राष्ट्रिकों को अपने

मुन्भाग के ऐसे संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य प्रेक्षा-केन्द्रों में जाने का अनुमति देंगे, जो सामान्यतः जनता के लिये खुले रहते हैं ।

अनुच्छेद ७

(१) यह निश्चित करने के लिये कि इस करार की शर्तों पर अमल होता रहे, करार करने वाले पक्ष दो मिश्रित जापानी-भारतीय आयोगों की स्थापना कर सकते हैं । इनमें से एक टोकियो में होगा और दूसरा नई दिल्ली में ।

(२) हर आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो को जापान सरकार नामित करेगी और दो को भारत सरकार ।

(३) टोकियो में जापान सरकार एक जापानी राष्ट्रिक को अध्यक्ष नामित करेगी और दिल्ली में भारत सरकार एक भारतीय राष्ट्रिक को अध्यक्ष नामित करेगी ।

(४) अध्यक्ष तीन वर्ष में कमसे कम एक बार हर आयोग की बैठक ज़रूर बुलायेगा ।

अनुच्छेद ८

(१) इस करार का जल्दी से जल्दी सत्यांकन किया जायेगा । जिस दिन सत्यांकन-पत्रों का विनिमय होगा उसी दिन से यह करार लागू हो जायेगा । पत्रों का विनिमय नई दिल्ली में होगा ।

(२) यह करार दस वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा । इसके बाद यह करार तबतक लागू रहेगा जबतक करार करने वाला कोई पक्ष कम-से-कम छः महीने पूर्व सूचना देकर इसे खत्म न कर दे ।

इसकी साक्षी में उक्त पूर्णाधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, और अपनी मोहरें लगा दी हैं ।

आज नवम्बर, १९५६ की २९ तारीख़ को टोकियो में दो प्रतियों में तैयार किया गया ।

दोनों सरकारें इस करार के जापानी और हिन्दी पाठों का विनिमय इस तारीख़ से एक महीने के भीतर कर लेंगी ।

जापान सरकार की ओर से :

श्री मामोरु शिगेमित्सु

भारत सरकार की ओर से :

श्री बी० आर० सेन ।